न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 59 / 2020

नरेन्द्र गोदारा पुत्र सुगड़सिंह, रेल्वे लाइन के पास,गायत्री कॉलोनी कटरा,नदबई ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नदबई ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 25.09.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री नरेन्द्र गोदारा पुत्र सुगड़सिंह, रेल्वे लाइन के पास,गायत्री कॉलोनी कटरा,नदबई ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2020 उपखण्ड अधिकारी नदबई से सूचना चाही गई थी । उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 445 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी नदबई से उनके पत्र कमांक / 13304 दिनांक 14.09.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नदबई से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त जबाब पत्र कमांक / 13304 दिनांक 14.09.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपने जबाब की ताईद में सूचना प्राप्ति दिंनाक 05. 08.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त रसीद की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर